



BUILDING COMPLETION CERTIFICATE

I, Ghasi Ram Jat hereby certify that the institution namely **Prabha Devi Memorial P.G. Mahavidhyala Kabri Dungri, Mundota, Amer, Jaipur, Raj** have personally inspected the land and building mentioned in the statement below and the same is based on the registered documents, data measurements and specifications found in the site.

1.	Name of the society/trust i. e. Management of the institution	Prabha Devi Memorial Shodh EVAM Shikshan Sansthan, Kudiyon Ka bas, Jobner, Jaipur
2.	The trust i. e. management of the institution is having the PAN/TAN No.	copy enclosed: Yes <u>AACAP9652Q</u>
3.	Name of the institution	Prabha Devi Memorial P.G. Mahavidhyala, Jaipur
4.	<p>A certificate from the competent authority to the effect that the society sponsoring the instruction has transferred and vest the title of the land and building in the name of the institution as per clause 8 (7) (v) of the NCTE Regulations, 2009.</p> <p>Note : Clause 8(7) (iv) of the NCTE Regulation, 2014 provides that “the society sponsoring the institution shall be required to transfer and vest the title of the land and building in the name of the institution within a period for s six months from the date of issue of formal recognition order under sub-regulation (11) of Regulation 7. However, in case, the society fails to do so due to local laws or rules or bye-laws, it shall intimate in writing with documentary evidence, of its inability to do so.”</p>	<p>A copy of the certificate is required to be enclosed by all recognized institutions whithin a period of six months for the date of issue of formal recognition order under sub – regulation (11) of Regulation 7 of the NCTE Regulation, 2009.</p> <p>The Land is registered in the name of.</p> <p>Prabha Devi Memorial Shodh EVAM Shikshan Sansthan, Kudiyon Ka bas, Jobner, Jaipur</p> <p>Copy enclosed : Yes</p>
5.	Location with Khata / Khasra / Street No./ Ward No. Name of the place. Corporation / Municipality / Panchayat.	Khasra No. 556, 557, 558, Kudiyon Ka bas, Jobner, Jaipur 303328

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ) **13 MAR 2024**



6.	Date of Registration of Land	834/2013-14		
7.	Registered in the office of Sub Registrar/Tehsildar with address	Sub – Registrar, Office Jalsu Dist Jaipur, Raj.		
8.	The location of the land of the institution is in a single plot or different plots.	Registry		
9.	If the location of the land of the institution is not in a single plot the distance of different plots be mentioned.	NA		
10.	Type of ownership of land	Registered Ownership		
11.	Building plan approved by (address of Corporation / Municipality / Panchayat / any other Govt. Agency).	Gram Panchayat, Kudiyon Ka bas		
12.	Year of completion of construction of the building.	2022		
13.	Purpose for which the building is being used / proposed to be used	(Pass course- B. A, B. sc, B. Com, M. A, M. com, M. sc,) B. A, B. E d, B. sc B. Ed,		
14.	Electricity connection No.	211543027068		
	Telephone connection No.	9828382177, 9660320345		
	Water connection No.	Water is supplied by Tube Well.		
15.	Total land area of the institution	11300.00 Sqm.		
	Total built up area of the institution	15000.00 Sqm.		
16.	Total land area earmarked for particular teacher training programme alongwith name of the course.	5000.00 Sqm.		
	Total built up area earmarked for particular teacher training programme along with name of the course.			
17.	Details of construction of building (Roofing – pl. mention RCC asbestos / Tiled / any other pl Specify) • (the column to be filled up in case the building of the institution is of more than one floor)		Area	Roofing
		Ground	4000.00	RCC
		Floor	Sqm.	
		First	4000.00	RCC
		Floor	Sqm.	
		Second	4000.00	RCC
		Floor	Sqm.	
Third	3000.00	RCC		
Floor	Sqm.			
	Total built up area	15000.00	RCC	

13 MAR 2024
ATTESTED
 NOTARY PUBLIC
 JAIPUR (RAJ)



On verification of the above on site, I hereby certify that :-

- i. The land & building of the institution is exclusively meant for running teacher training programme. The institution campus, building, furniture etc. is barrier free. There is no temporary structure, asbestos/tin sheet shed available in the building. Safeguard against fire hazard has been provided in all parts of the building.
- ii. The building of the institution is constructed keeping in view the provision and bye-laws of the building construction as per the Bureau of Indian standards and the same is structural safe and secure to run the teacher training course.
- iii. The construction of the building is completed in all respects and the building is structurally sound to be used for Educational purpose and having the load bearing capacity as per the lasted Indian Standards.

Signature Architect

Name of the approved/authorized Engineer /Architect	S. L. BENIWAL D/MAN CIVIL JAIPUR NAGAR NIGAM REG NO 0371
Designation	Approved Architect
Office Address	

Certified by the competent govt. authority/local govt. body

Signature with Seal

Name of competent authority	
Designation	मुख्य अधिकारी ग्राम पंचायत कुडियो का बास पंच जोबनेर (जयपुर)
Office Address	

Name of the authorized representative of the society/trust running the teacher training programme.	ध. स. देवी मेमोरियल शोध एवम् शिक्षण संस्थान कुडियो का बास, फुलेरा, जयपुर (राज.)
Designation	Secretary
Name of the society/trust	Prabha Devi Memorial Shodh EVAM Shikshan Sansthan, Kudiyon Ka bas, Jobner, Jaipur

13 MAR 2024
ATTESTED

NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ)

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर (राज०)
प्रारूप व
(देखिये नियम 9 (3) (4) और (6))

क्रमांक : एफ.16 भू.र./राजस्व /2008 /405

दिनांक : 25/09/2010

संपरिवर्तन आदेश

प्रार्थी प्रभा देवी मेमोरियल शोध एवं शिक्षण संस्थान, कुड़ियों का बास, जोबनेर, जयपुर के आवेदन पर राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर कृषि के लिए रूपान्तरण) नियम 2007 के नियम 9 के तहत गैर कृषि प्रयोजन के लिए परिवर्तित किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- 1 आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम : प्रभा देवी मेमोरियल शोध एवं शिक्षण संस्थान, कुड़ियों का बास, जोबनेर, जयपुर
पिता / पति के नाम सहित तथा पूरा पता
- 2 क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है : नहीं
- 3 संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा : कुड़ियों का बास, जोबनेर, जयपुर
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत /तहसील का नाम : तहसील - जोबनेर जयपुर
(ख) भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल हेक्टेयर या वर्गमीटर में : ख.नं.975/2,557,556,558,555/2,557/1,555/3,555/1,31/2,18 रकबा 1.13
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपवर्तित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल वर्गमीटर में : 11300 वर्गमीटर
- 4 संपरिवर्तन का प्रयोजन : शैक्षिक प्रयोजनार्थ
- 5 सदैव प्रिमियम की दर : 10.17 /- रुपये प्रति वर्गमीटर
- 6 चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम की रकम : चालान नं. 621 दिनांक 14.03.2010 राशी 62,465/- रुपये व चालान नं. 196 G.R.N. 20626934 दिनांक 04.08.2010 राशी 52,300/- रुपये
- 7 चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशी : निर्माण शास्ति चालान नं. 195 G.R.N. 20627089 दिनांक 04.08.2010 राशी 42090/- रुपये
- 8 चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशी : शून्य
- 9 क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है। : नहीं
- 10 अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो



11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्न लिखित शर्तों के अध्वधीन होगा।

- 1 राजस्थान भू-राजस्व नियम, 2007 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमान के अनुरूप पट्टाचमार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
3. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपह हो जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. प्रकरण में किसी प्रकार की देयता के संबंध में देय राशि भूमिधारक/आवेदक को तत्काल जमा करानी होगी, अन्यथा नियमानुसार वसूली की जा सकेगी।
6. राजस्थान औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के डिस्पोजल रूल्स 1979 के अनुसार संपरिवर्तन भूमि पर फिनमर्षण कार्य निर्धारित सेट बैंक छोड़कर ही करवाया जा सकेगा।
7. प्रदूषण नहीं फैलाया जायेगा तथा पर्यावरण संबंधी राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखा जायेगा।
8. आवेदित भूमि से यदि पैट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.2008 अनुसार पाईप लाईन के मार्गधिकार की सीमा 10 मी. की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपोसीमा में 50 मी की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
9. संपरिवर्तित भूमि में से 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के रूप में खुला रखना होगा जिस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करवाया जा सकेगा।
10. संपरिवर्तित भूमि का अनुमोदित नक्शा इस संपरिवर्तन आदेश का अनिवार्य भाग होगा।
11. अनुमोदित नक्शे में दर्शायी गयी सुविधा क्षेत्र की भूमि को सार्वजनिक पार्क / सड़क इत्यादि सुविधाओं (जैसा नक्शे में वर्णित हो) के रूप में सर्वप्रथम विकसित किया जायेगा। इसके उपरान्त ही संपरिवर्तित भूमि कावैचान किया जा सकेगा।
12. संपरिवर्तित भूमि में आधारभूत सुविधाओं तथा पानी, बिजली इत्यादि को विकसित करने के उपरान्त ही गैर-कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि को संपरिवर्तित उपयोग में लिया जा सकेगा।
13. राजास्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी राज्यादेशों आदि की सभी शर्तें लागू होगी।
14. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान द्वारा घोषित हरित राजस्थान योजना के तहत चारदीवारी के सहारे-सहारे पेड़ लगाने होंगे एवं आवेदित भूमि से हटाए गए पेड़ों की एवज में तीन गुणा पेड़ लगाने होंगे अन्यथा नियमानुसार 500रु प्रतिवर्ष शास्ति लगायी जायेगी।
15. निर्मित भवन में बरसाती पानी संग्रहण ढांचा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाया जाएगा।

क्रमांक एफ.16 (25) मू.र./राजस्व/2008/405-409


दिनांक 23/05/2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज० जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी, जयपुर।
5. तहसीलदार, झोटवाडा मय नक्शा ट्रेस।
6. सरपंच ग्राम पंचायत, कुड़ियों का बास जिला जयपुर।
7. प्रभा देवी मेमोरियल शोध एवं शिक्षण संस्थान जयपुर जरिये सचिव।
8. रक्षित पत्रावली ।